संख्या- 159/2015-2965/नौ-5-2015-115बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सौख/फरह **(मथुरा),** नगर पंचायत सिधौली **(सीतापुर),** नगर पालिका परिषद सोरों **(कांसगंज),** नगर पंचायत विजयगढ़**(अलीगढ़),** नगर पंचायत शीशगढ़**(बरेली),** नगर पंचायत, रामनगर **(बाराबंकी),** नगर पंचायत बढ़ापुर**(बिजनौर)**/नगर पंचायत सिरसी **(सम्भल)।**

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-275/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 02.02.2015, सं0-57/2015-1507/नौ-5-2015-197 बजट/2014 टीसी, दिनांक 13.03.2015, सं0-53/2015-1258/नौ-5-2015-197बजट/2014 ,दि0 11.03.2015, सं0-6070/नौ-5-2014-197बजट/2014 टीसी, दिनांक 03.11.2014, सं0-03/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 5.01.2015, सं0-579/नौ-5-2014-32सा/2014, दिनांक 5.01.2015, एवं शासनादेश सं0-18/2015-730/नौ-5-2015-197बजट /2014 टीसी-1 दिनांक 18.02.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'शहरी क्षेत्रों में अन्तयेष्टि स्थलों का विकास' योजना'** के अन्तर्गत के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर पंचायत सौख, नगर पंचायत फरह **(मथुरा),** नगर पंचायत, सिधौली **(सीतापुर),** नगर पालिका परिषद सोरों **(कांसगंज)**, नगर पंचायत विजयगढ़ (अलीगढ़), नगर पंचायत शीशगंढ़ **(बरेली),** नगर पंचायत रामनगर **(बाराबंकी),** नगर पंचायत बढ़ापुर **(बिजनौर),** नगर पंचायत सिरसी (सम्भल) को द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में अन्त्येष्टि स्थल के विकास हेतु कुल **रू0 388.17** लाख (रू0 तीन करोड़ अट्ठासी लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	शासनादेश सं0 एवं दिनांक, जिसके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।	शासनादेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा निर्धारित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	शासनादेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि	स्वीकृत द्वितीय एवं अंतिम किश्त की धनराशि
01	02	03	04	05	06	07
01	मथुरा	नगर पंचायत सौख	275/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 02.02.2015	164.50	82.25	82.25
		नगर पंचायत फरह	275/नौ-5-2014-197बजट/2014, दिनांक 02.02.2015	115.50	57.75	57.75

http://shasanadesh.up.nic.in/

		नगर पंचायत फरह	57/2015-1507/नौ-5-2015-197 बजट/2014टीसी, दि. 13.03.2015	45.48	22.74	22.74
2	सीतापुर	नगर पंचायत सिधौली	53/2015-1258/नौ-5-2015-197बजट/2014 ,दि0 11.03.2015	34.60	17.30	17.30
3	कासगंज	नगर पालिका परिषद सोरों	53/2015-1258/नौ-5-2015-197बजट/2014 ,दि0 11.03.2015	102.80	51.40	51.40
4	अलीगढ़	नगर पंचायत विजयगढ़	57/2015-1507/नौ-5-2015-197बजट/2014टीसी, दिनांक 13.03.2015	78.00	39.00	39.00
5	बरेली	नगर पंचायत शीशगढ़	03/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 5.01.2015	39.32	19.66	19.66
6	बाराबंकी	नगर पंचायत रामनगर	03/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 5.01.2015	30.58	15.29	15.29
7	बिजनौर	नगर पंचायत बढ़ापुर	579/नौ-5-2014-32सा/2014, दिनांक 5.01.2015	57.00	28.50	28.50
9	सम्भल	नगर पंचायत सिरसी	18/2015-730/नौ-5-2015-197बजट/2014टीसी-1 दिनांक 18.02.2015	108.56	54.28	54.28
			योग	**776.34**	**388.17**	**388.17**

1. शासनादेश सं0- 275/नौ-5-2015-197बजट/2014, दिनांक 02.02.2015, 57/2015-1507/नौ-5-2015-197बजट/2014 टीसी, दिनांक 13.03.2015, 53/2015-1258/नौ-5-2015-197बजट/2014,दि0 11.03.2015, 6070/नौ-5-2014-197बजट/2014 टीसी, दिनांक 03.11.2014, 03/नौ-5-2015-197बजट/2014, दि.5.01.2015, 579/नौ-5-2014-32सा/2014, दिनांक 5.01.2015, 18/2015-730/ नौ-5-2015-197बजट/2014 टीसी-1 दिनांक 18.02.2015 द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जाय।
2. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
4. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-5251/नौ-5-2014-329सा/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 एवं 05 जनवरी 2015 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जाय।
6. कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए इसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जाय।
7. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग के क्रयादेशों के अनुसार किया जाय। यथावश्यक सामग्री की पूर्ति टेण्डर/रेट कान्टरेक्ट/डीजीएसएण्डडी की दरों पर ही किया जाय।
8. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in/

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाया सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

12. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यो के सापेक्ष कार्यवार शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

14. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

15. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2235 -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-शहरी क्षेत्रों में अन्तर्येष्टि** स्थलों **का विकास-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**उमा शंकर सिंह**)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-159/2015-2965/नौ-5-2015-115बजट /2015,तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा/मुरादाबाद/बरेली/ झांसी/गोरखपुर/मेरठ/लखनऊ/ अलीगढ़/ ।
3. जिलाधिकारी, मथुरा/सीतापुर/कासगंज/अलीगढ़/झांसी/बरेली/बाराबंकी/बिजनौर/सम्भल।
4. कोषाधिकारी, मथुरा/सीतापुर/कासगंज/अलीगढ़/झांसी/बरेली/बाराबंकी/बिजनौर/सम्भल।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत सौख/फरह(मथुरा), नगर पंचायत सिधौली(सीतापुर), नगर पालिका परिषद सोरों (कांसगंज), नगर पंचायत विजयगढ़ (अलीगढ़), नगर पंचायत शीशगढ़(बरेली), नगर पंचायत, रामनगर (बाराबंकी), नगर पंचायत बढ़ापुर (बिजनौर)/नगर पंचायत सिरसी (सम्भल)।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय व्ययक (अनुभाग-1)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(**उमा शंकर सिंह**)

http://shasanadesh.up.nic.in/

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/